न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 54/2013 G.C.M.S. No. 2013/00130 दर्ज दिनांक : 30.07.2013

अपीलार्थिगण:

1. चुन्नीलाल पुत्र हीसाराम
2. बींजाराम पुत्र हीसाराम
3. पोकरराम पुत्र रामलाल
4. थानाराम पुत्र रामलाल
5. सोनाराम पुत्र रामलाल
6. बुधाराम पुत्र रामलाल
7. बींजाराम पुत्र रामलाल
8. पेमाराम पुत्र मालाराम, तमाम अकवाम चौकीदार, निवासीगण चावाड़िया, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. हरजीराम पुत्र मालाराम, जाति चौकीदार, निवासी चवाडिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन व जिला पाली।
2. तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व विविध संख्या 73/2012 बअनवान चुन्नीलाल बनाम हरजीराम में पारित आदेश दिनांक 08.10.2012 एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नवीन दवे, श्री कुलदीप शर्मा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 30.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व विविध संख्या 73/2012 बअनवान चुन्नीलाल बनाम हरजीराम में पारित आदेश दिनांक 08.10.2012 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में ग्राम मौजा चवाडिया के खसरा संख्या 425, 426, 427, 428, की कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि कल्लाराम का 3/4 हिस्सा व भोमा पुत्र नवला का 1/4 हिस्सा सहखातेदारी में दर्ज शुदा रहा है। कल्लाराम का 3/4 हिस्से की भूमि पर स्वयं काश्त करते थें कल्लाराम के दो पुत्र हिसाराम व मालाराम हुए व हिसाराम के तीन पुत्र चुन्निलाल, बीजांराम, व रामलाल हुए। चुन्निलाल व बींजाराम हयात है व रामलाल जी की मृत्यु हो चुकी हैं जो वारिसान अपीलान्ट संख्या 01 से 07 है व मालाराम के तीन पुत्र हुए, जिसमें पेमाराम अपीलान्ट संख्या 08 है व हरजी रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

संख्या 01 है व पुनाराम मालाजी का पुत्र है जो भोमा के गोद चला गया है जिसका रजिस्टर्ड गोद नामा दिनांक 20.02.1969 है, यानि मालाराम जी के दो पुत्र ही हैं, जो अपीलान्ट संख्या 08 व रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 है। तमाम अपीलान्ट कल्लाराम जी के जीवनकाल में पैदा हो गये थें व इनका संयुक्त परिवार था व तमाम सामाजिक व धार्मिक कार्य बसामलाती करते थें व बसामलाती काश्त भी उपरोक्त कृषि भूमि में करते थें, उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि कल्लाराम जी की मृत्यु के बाद हिसाराम व मालाराम के नाम दर्ज हो गई व इस सम्पूर्ण कृषि भूमि का रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 द्वारा फर्जी तरीके से मालाराम व हिसाराम से अपने नाम बेचाण दस्तावेज निष्पादित करवा दिया व अपना नाम रेवेन्यू रेकर्ड में दर्ज करवा दिया अपीलान्ट को जानकारी होने पर रजिस्ट्री बेचाण निरस्ती का वाद पेश किया गया जो न्यायालय में विचारधीन है व सहायक कलक्टर मारवाड जक्शन में राजस्व वाद पेश किया व इसके साथ धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश किया व यह निवेदन किया की कल्लाराम जी कि कृषि भूमि में हिसाराम व मालाराम सहित सभी अपीलान्ट का बहिस्सा बराबर का हक हिस्सा व अधिकार है व सहदायिकी कृषि भूमि हैं। इस कारण से मालाराम व हिसाराम को बेचने व रेस्पोंडेन्ट को खरीदने का कोई अधिकार नहीं था व इस कृषि भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है व उपयोग–उपभोग है। रेस्पोंडेन्ट द्वारा अपना जवाब खण्डन में दिया व धारा 212 का प्रार्थना पत्र एस.डी.ओ. मारवाड जक्शन द्वारा विधिविरूद्ध खारिज कर दिया गया। कल्लाराम जी की मृत्यु के बाद हिसाराम का व मालाराम का प्रत्येक एक का 1/7–1/7 हिस्सा ही आता है परन्तु इन दोनों से फर्जी रजिस्ट्री धोखे से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा करवा ली गई। इस बेचाण रजिस्ट्री से अपीलान्ट बाध्य नहीं हैं व अपीलान्ट के हिस्से की रजिस्ट्री करवाने का अधिकार हिसाराम व मालाराम को नहीं था। उक्त बेचाण दस्तावेज अपीलान्ट के हिस्से ताक प्रारम्भ से शून्य है व अपीलान्ट का हक हकूक है व हर इंच पर अधिकार है। इस कारण से अदालत मातहत को स्थगन आदेश अपीलान्ट के पक्ष में जारी किये जाना चाहिए था, जो ना कर अपीलाधिन कृषि भूमि के चिपते अपीलान्ट के मकान बने हुए हैं व इन मकानों के सामने सभी के अपने अपने हिस्से पर कब्जा है व उपयोग उपभोग है व हक अधिकार है जब मौके पर अपीलान्ट का कब्जा होना साबित है तो अपीलान्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जानी चाहिए थीं, जो ना कर भारी तथ्यात्मक व विधिक भूल की हैं। रजिस्टर्ड बैचाण निरस्ती का वाद सिविल जज मारवाड जंक्शन में विचाराधीन है व उसमें रेस्पोडेन्ट को कृषि भूमि बेचाण नहीं करने यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश पारित है तो अदालत मातहत को अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना चाहिए था जोकि नहीं किया गया। अपीलान्ट का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक सम्पति में हक हिस्सा विधि अनुसार है व हक हिस्सा वाद में तय किये जायेगा इस सम्बंध में तनकियात कायम की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जायेगी व साक्ष्य ली जायेगी व बाद सुनवाई के हक हिस्सा होने बाबत् मेरिट पर वाद का निर्णय किया जायेगा इस कारण से वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए था, जो न कर विधि व तथ्य की भूल की हैं। अपीलाधिन कृषि भूमि संयुक्त कृषि भूमि हैं। हर इंच पर अपीलान्ट का हक–हिस्सा है। रेस्पोंडेन्ट के अकेले की कृषि भूमि नहीं हैं। इस कारण से रेकर्ड को बदलवाने व मौके की स्थिति में परिवर्तन करने का भी रेस्पोंडेन्ट को कोई अधिकार नहीं हैं। अपीलान्ट अपना पशुधन लेकर राजस्थान से बाहर चले गये थें व वहीं पर कोयला पाडकर अपना जीवनयापन करते थें व दशहरा के बाद अपीलान्ट अपने गाँव में नहीं थें व अपीलान्ट के पास मोबाईल की व्यवस्था भी नहीं हैं। इस कारण से अधिवक्ता को नम्बर नहीं दिये जा सके व अभी कुछ समय पूर्व यानि की जुलाई 2013 के प्रथम सप्ताह में अपने गाँव वापस आये व सुड इत्यादि करने हेतु खेत में गये तो रेस्पोडेन्ट द्वारा धमकी दी की आप कृषि भूमि में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलान्ट का खारिज हो चुका है तब अधिवक्ता के पास गये व इस सम्बध में जानकारी चाही तो अधिवक्ता द्वारा आदेश खिलाफ में होने की जानकारी दी व नकल हेतु आवेदन करने हेतु कहा गया व अधिवक्ता द्वारा नकल तैयार करवाकर दिनांक को दी गई व अब अपील श्रीमान के न्यायालय में पेश की जा रही ही जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलान्ट अपना पशुधन लेकर राजस्थान से बाहर चले गये थें व वहीं पर कोयला पाडकर अपना जीवनयापन करते थें व दशहरा के बाद अपीलान्ट अपने गाँव में नहीं थें व अपीलान्ट के पास मोबाईल की व्यवस्था भी नहीं हैं। इस कारण से अधिवक्ता को नम्बर नहीं दिये जा सके व अभी कुछ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

समय पूर्व यानि की जुलाई 2013 के प्रथम सप्ताह में अपने गाँव वापस आये व सुड इत्यादि करने हेतु खेत में गये तो रेस्पोडेन्ट द्वारा धमकी दी की आप कृषि भूमि में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलान्ट का खारिज हो चुका है तब अधिवक्ता के पास गये व इस सम्बंध में जानकारी चाही तो अधिवक्ता द्वारा आदेश खिलाफ में होने की जानकारी दी व नकल हेतु आवेदन करने हेतु कहा गया व अधिवक्ता द्वारा नकल तैयार करवाकर दिनांक को दी गई व अब अपील श्रीमान के न्यायालय में पेश की जा रही ही जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा विलंब अपीलांट की लापरवाही से कारित नहीं किया गया हैं। साथ ही प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं कर गुणावगुण के आधार पर किया जाना आज्ञापक है। जिसके लिए उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अतः विलंबकाल माफ करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पैतृक–पुश्तैनी होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए वादग्रस्त आराजीयात पैतृक–पुश्तैनी होने का खण्डन किया है, बल्कि पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 24.10.1978 द्वारा अप्रार्थी को प्राप्त हुई हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थीगण की क्रयशुदा आराजी होने से प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निहित नहीं होना मानते हुए अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। हमारे विनम्र मत में वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट्स की पैतृक–पुश्तैनी है या नहीं तथा इसमें अपीलांट के सहदायिक आधार पर खातेदारी अधिकार निहित है या नहीं, का निर्धारण विधिवत साक्ष्य उपरांत मूल वादपत्र में गुणावगुण के आधार पर निर्णय से ही हो सकता है। लेकिन चूंकि अप्रार्थी रेस्पोंडेंट अभिलिखित खातेदार है तथा पंजीकृत विक्रय–विलेख से भू–अभिलेख में नाम दर्ज हुआ है। अतः प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं माना जा सकता तथा ऐसी स्थिति में यदि रेस्पोंडेंट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो उसे अपूर्णनीय क्षति संभव है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनन कोई त्रुटि कारित नहीं की हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने तथा अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य होने से अपील अपीलांट खारिज

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व विविध संख्या 73/2012 बअनवान चुन्नीलाल बनाम हरजीराम में पारित आदेश दिनांक 08.10.2012 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली